

06-11-19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक नौरु सुम्बरुई, पिता- स्व० माड़की सुम्बरुई, ग्राम- भूता, टोला- बागुनबासा थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना- 649, खाता नं०- 170, प्लॉट नं०- 1976, रकवा- 0.11¼ एकड़ भूमि क्रेता श्री रमेश कच्छप, पिता- श्री मंगरा कच्छप, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण वाद सं० 206/2008-09 द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 785, दिनांक- 6.11.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज करवाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री रमेश कच्छप, पिता- श्री मंगरा कच्छप, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफ्फासिल, के पास 9,80,000.00/- (नौ लाख अस्सी हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फासिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक नौरु सुम्बरुई, पिता- स्व० माड़की सुम्बरुई, ग्राम- भूता, टोला- बागुनबासा क्रेता- श्री रमेश कच्छप, पिता- मंगरा कच्छप, ग्राम- नरसन्डा थाना- मुफ्फासिल के पास 9,80,000.00/- (नौ लाख अस्सी हजार) रुपये में मौजा- नरसन्डा, थाना- 649, खाता नं०- 170, प्लॉट नं०- 1976, रकवा- 0.11¼ एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।